राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(समन्वय शाखा)
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली–02

सार्वजनिक सूचना

07–बवाना (एससी), विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 23.8..2017 (बुधवार) को होने वाले उप–निर्वाचन के लिये कर्मचारियों को भुगतान सहित छुट्टी के संबंध में।

जनसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी (1) के उपबन्ध के अनुसार किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थापना में कार्यरत तथा मतदान के पात्र प्रत्येक व्यक्ति को दिल्ली में मतदान के दिन दिनांक 23.8.2017 (बुधवार) की छुट्टी प्रदान की जाएगी ताकि वे 07–बवाना (एससी), विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप–निर्वाचन में अपना मत डाल सकें।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी की उपधारा (2) के अनुसार वेतन में किसी प्रकार की कटौती या कमी उक्त छुट्टी के कारण नहीं की जाएगी और यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर नियुक्त है कि वह ऐसे किसी दिन के लिए सामान्यतः ऐसे दिन वेतन नहीं प्राप्त कर सकता हो फिर भी उसे वह वेतन दिया जाए जो कि वह प्राप्त करता अगर उस दिन उसे वह अवकाश प्रदान नहीं किया जाता।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी (3) के उपबन्धों के अनुसार नियोक्ता द्वारा उक्त उपबन्धों का उल्लंघन दंडनीय है।

तथापि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी की उपधारा (4) के अनुसार ये धारा उस मतदाता पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति के कारण उस रोज़गार को संकट या भारी हानि हो सकती है जिसमें वह कार्यरत है।

सभी संबंधित की जानकारी में यह भी लाया जाता है कि दिनांक 04.8.2017 के पत्र सं0 78/ईपीएस/2017 के द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में आम/उप–चुनाव होने हैं वहां मतदान के दिन ऐसी **सभी संस्थापनाएं और दुकाने बंद रहेंगी** जिसमें शिफ्ट आधार पर कार्य होता है। तथापि ऐसे मामले हो सकते है जहां कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र का सामान्यतः निवासी हैं और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, आम/उप–चुनाव वाले किसी निर्वाचन क्षेत्र से बाहर स्थित किसी औद्योगिक उपक्रम या किसी संस्थापना में सेवारत या कार्यरत हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति में उन मतदाताओं जिनमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं, वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी (1) के अन्तर्गत भुगतान सहित छुट्टी का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। दैनिक वेतन/आकस्मिक कामगार भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत मतदान के दिन छुट्टी और वेतन के हकदार होंगे।

(अमिताभ कुन्डु)
उप सचिव (सा0प्र0वि0)